हथकरघा क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण

विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:

(1) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)

मुख्य घटक:
क. क्लस्टर विकास कार्यक्रम
ख. हथकरघा मार्केटिंग सहायता
ग. अवसंरचना एवं विशेष परियोजना
घ. मेगा हथकरघा क्लस्टर
ङ. रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा ऋण आदि
च. हथकरघा बुनकरों का कल्याण
छ. विविध घटक

(2) कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस)

योजनाओं का विवरण:

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी):

(क) क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी)

क्लस्टर विकास कार्यक्रम (जिसे पहले ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर कहा जाता था) के तहत, क्लस्टर की आवश्यकता के आधार 2 करोड़ रुपये तक की आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि 3 वर्ष है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावों की सिफारिश की जाती है।

मूल्यांकन अध्ययन द्वारा योजना का प्रभाव

2019-20 के दौरान, 381 हथकरघा क्लस्टरों का प्रभाव मूल्यांकन स्वतंत्र तृतीय पक्षों अर्थात मेसर्स प्राइस वाटरहाउस कूपर (पीडब्ल्यूसी) लिमिटेड और मेसर्स टार्गस टेक्नोलॉजी प्रा. लिमिटेड द्वारा किया गया था। मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना का हथकरघा क्षेत्र के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और हथकरघा बुनकरों की औसत आय को 255/- रुपये से बढ़ाकर 313/- रुपये प्रतिदिन करने तथा एक वर्ष में 251 से 268 कार्य दिवसों की संख्या में औसत वृद्धि में एक प्रमुख भूमिका निभाई है।

फंडिंग पैटर्न के घटक

(i) बेसलाइन सर्वे, डायग्नोस्टिक स्टडी, कंसोर्टियम का गठन, जागरूकता कार्यक्रम, उत्पाद विकास, एक्सपोजर विजिट, प्रदर्शनियों / बीएसएम / प्रचार में भागीदारी, क्लस्टर गतिविधियों का दस्तावेजीकरण, नामित एजेंसी को सेवा शुल्क, परियोजना प्रबंधन लागत, वस्त्र डिजाइनर की नियुक्ति, भूमि लागत को छोड़कर, कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षुओं को वेतन प्रतिपूर्ति, आईए को प्रोत्साहन आदि जैसे अंतःक्षेप पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित होंगे।

(ii) हथकरघा संवर्धन सहायता और लाइटिंग यूनिट्स जैसे व्यक्तिगत बुनकरों को सीधे लाभान्वित करने वाले अन्य अंतःक्षेपों को 90:10 के अनुपात में भारत सरकार : लाभार्थी द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

(iii) व्यक्तिगत वर्कशेड-एससी/एसटी/महिला/डिफरेंटली एबल्ड को 100% भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

अन्य के लिए व्यक्तिगत वर्कशेड को भारत सरकार: लाभार्थी द्वारा 75:25 के अनुपात में वित्त पोषित किया जाता है।

(iv) कॉमन वर्कशेड को भारत सरकार: लाभार्थी द्वारा 90: 10 के अनुपात में वित्त पोषित किया जाता है।

(v) कॉमन वर्कशेड के लिए सोलर लाइटिंग सिस्टम को भारत सरकार: लाभार्थी द्वारा 90: 10 के अनुपात में वित्त पोषित किया जाता है।

कार्यान्वयन एजेंसी

i. केंद्र/राज्य सरकार के संगठन
ii. राष्ट्रीय/राज्य स्तर के हथकरघा संगठन
iii. शीर्ष/प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां।
iv. स्वयं सहायता समूह
v. निर्माता कंपनी।

भुगतान की शर्तें

निधियों को दो समान किश्तों में निम्नानुसार स्वीकृत / जारी किया जाता है:

क) भारत सरकार का 50% पहली किस्त के रूप में अग्रिम रूप में
ख) पहली किस्त जारी होने के कम से कम 70% का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) प्राप्त होने पर ही दूसरी किस्त जारी की जाती है।

2015-16 से 2022-23 (28 फरवरी, 2023 तक) देश में हथकरघा क्लस्टरों, कौशल उन्नयन के तहत लाभान्वित बुनकरों, एचएसएस मदों, लाइटिंग यूनिट्स और वर्कशेड हेतु सहायता प्रदान के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत और जारी की गई वित्तीय सहायता।

क्र.सं.	राज्य/संघ-राजय क्षेत्र	वित्तीय सहायता प्रदान किए गए क्लस्टरों की संख्या	स्वीकृत/जारी वित्तीय सहायता (लाख रुपये में)	कौशल उन्नयन प्राप्त करने वाले बुनकरों की संख्या	उन्नत करघे और सहायक उपकरण प्राप्त करने वाले बुनकरों की संख्या	व्यक्तिगत वर्कशेड के तहत लाभान्वित बुनकरों की संख्या	लाइटिंग यूनिट प्राप्त करने वाले बुनकरों	लाभान्वित बुनकरों की कुल संख्या (5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आंध्र प्रदेश	76	6,610.04	11,027	8,019	515	429	19,990
2	अरुणाचल प्रदेश	15	774.81	950	178	48	65	1,241
3	असम	69	5,827.19	16,334	7,758	489	0	24,581
4	बिहार	28	1,933.22	2,174	293	242	569	3,278
5	छत्तीसगढ़	12	729.77	2,094	895	0	45	3,034
6	गुजरात	6	225.41	763	245	0	0	1,008
7	हरियाणा*	0	24.44	147	10	8	2	167
8	हिमाचल प्रदेश	15	651.32	1,292	305	92	58	1,747
9	जम्मू और कश्मीर	15	875.70	1,667	412	103	419	2,601
10	झारखंड	30	1,380.44	1,423	1,208	313	483	3,427
11	कर्नाटक	9	896.21	1,288	1,829	112	555	3,784
12	केरल	14	1,182.68	1,788	2,552	230	436	5,006
13	लद्दाख	1	20.63					0
14	मध्य प्रदेश	11	445.93	1,097	234	0	0	1,331
15	महाराष्ट्र	6	330.34	1,291	381	73	84	1,829
16	मणिपुर	31	3,917.28	4,469	2,647	132	160	7,408
17	मेघालय	6	180.63	1,080	220	0	245	1,545
18	मिजोरम	22	1,635.45	1,534	1,409	185	191	3,319
19	नगालैंड	13	661.55	728	640	0	0	1,368
20	ओडिशा	34	1,901.48	4,844	6,452	109	1,021	12,426
21	पंजाब*	0	24.14	108	0	44	2	154
22	राजस्थान	2	63.04	423	41	7	12	483
23	सिक्किम	2	44.64	0	20	7	7	34
24	तमिलनाडु	66	4,348.03	5,456	14,624	844	639	21,563
25	तेलंगाना	30	1,367.04	2,598	515	25	0	3,138
26	त्रिपुरा	16	700.86	1,259	299	0	0	1,558
27	उत्तर प्रदेश	61	3,075.27	6,734	3,508	244	113	10,599
28	उत्तराखंड	3	88.64	353	44	5	0	402
29	पश्चिम बंगाल	26	1,081.55	1,024	5,012	224	488	6,748
	कुल	**619**	**40,997.72**	**73,945**	**59,750**	**4,051**	**6,023**	**1,43,769**

*नोट: हथकरघा क्लस्टरों की सहायता के लिए पंजाब और हरियाणा राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, बुनकरों को उन्नत करघों/सामानों, लाइटिंग यूनिट्स, व्यक्तिगत वर्कशेड और तकनीकी क्षेत्रों में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण आदि के लिए डब्ल्यूएससी, पानीपत के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है।

ख. हथकरघा मार्केटिंग सहायता:

उद्देश्य:

• घरेलू और निर्यात बाजारों में मार्केटिंग चैनलों को विकसित और बढ़ावा देना और दोनों के बीच समग्र और एकीकृत तरीके से संबंध बनाना।

• प्रतिभाशाली और अनकवर्ड बुनकरों पर विशेष ध्यान देते हुए हथकरघा कामगारों को मार्केटिंग के अवसर प्रदान करना।

(ii) घरेलू मार्केटिंग कार्यक्रमों का ब्यौरा

घरेलू मार्केटिंग कार्यक्रम (हथकरघा मार्केटिंग सहायता + एनईआरटीपीएस)		
वर्ष	**मार्केटिंग सहायता**	
	कार्यक्रमों की संख्या	**जारी निधि (लाख रू. में)**
2014-15 से 2019-20	1,513	14,485.23
2020-21	84	1,862.12
2021-22	211	3,242.44
2022-23 (28.02.2023 तक)	185	2,768.03
कुल	**1,993**	**22,357.82**

(क) 2022-23 के दौरान आयोजित एक्सपो का विवरण (28.02.2023 तक)

क्र. सं.	**राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी का नाम**	**स्वीकृत कुल एक्सपो**	**एक्सपो के प्रकार**				**जारी की गई धनराशि (लाख में)**
			नेशनल हैंडलूम एक्सपो	**स्टेट हैंडलूम एक्सपो**	**डिस्ट्रिक्ट हैंडलूम एक्सपो**	**विविध कार्यक्रम**	
घरेलू मार्केटिंग इवेंट/एक्सपो							
सामान्य राज्य							
1	आंध्र प्रदेश	12		6	6		153.78
2	बिहार	5		3	2		65.93
3	कर्नाटक	5		3	2		65.94
4	केरल	1		1			
5	मध्य प्रदेश	5		5			95.89
6	ओडिशा	5		5			80.91
7	तमिलनाडु	7	1	4	2		114.92
8	तेलंगाना	6	1	3	2		132.59
9	उत्तर प्रदेश	13		6	7		109.25
10	उत्तराखंड	1			1		
11	गोवा	1			1		6.00
12	हरियाणा	1			1		6.00

13	जम्मू और कश्मीर	1			1		6.00
14	झारखंड	3			3		10.00
15	लद्दाख	1			1		6.00
16	पुदुचेरी	2			2		12.00
17	पंजाब	1			1		6.00
18	पश्चिम बंगाल	3			3		18.00
19	महाराष्ट्र	1			1		6.00
कुल(क)		**74**	**2**	**36**	**36**		**895.21**
पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य							
11	अरुणाचल प्रदेश	6		4	2		117.66
12	असम	16	2	10	4		223.28
13	मणिपुर	10	1	7	2		185.25
14	मिजोरम	9		6	3		153.71
15	नगालैंड	10		8	2		196.08
16	सिक्किम	5	1	3	1		38.34
17	त्रिपुरा	8	1	5	2		50.00
कुल (ख)		**64**	**5**	**43**	**16**		**964.32**
राष्ट्रीय स्तर की कार्यान्वयन एजेंसियां							
18	आकाश						10.83
19	एनएचडीसी	36		21		15	749.48
20	सीसीआईसी	5		5			97.24
21	निफ्ट						14.23
22	शिल्प मेला और मास्टर निर्माण	6				6	36.72
कुल (ग)		**43**		**26**		**21**	**908.50**
कुल (क+ख+ग)		**185**	**7**	**105**	**52**	**21**	**2,768.03**

(ख) हथकरघा निर्यात संवर्धन

उद्देश्य:

- हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों, बड़े टिकट कार्यक्रमों, बीएसएम, आरबीएसएम आदि के आयोजन/भागीदारी के माध्यम से बाजार में प्रवेश। आईएचबी, एचएलएम और अन्य उपायों के माध्यम से प्रचार और ब्रांड विकास।

- उपयुक्त शीर्ष/प्राथमिक हथकरघा सहकारी समितियों, निगमों, उत्पादक कंपनियों, हथकरघा पुरस्कार विजेताओं, निर्यातकों, अन्य प्रतिभाशाली बुनकरों आदि के लिए अंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग संबंध स्थापित करने में सहायता करना, जो विशिष्ट निर्यात योग्य हथकरघा उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं।

हथकरघा उत्पादों के निर्यात के लिए, हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी), राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसी) और हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) अपने हथकरघा उत्पादों को

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेचने के लिए डीसीएचएल कार्यालय के माध्यम से सदस्य हथकरघा निर्यातकों के साथ विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मेलों में भाग ले रही है।

वर्ष	**अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम**				**हथकरघा उत्पादों का वर्षवार निर्यात**
	कार्यक्रमों की संख्या जिनमें भाग लिया गया	**स्पॉट ऑर्डर बुक (करोड़ रुपए में)**	**कुल व्यवसायिक पूछताछ सृजित (करोड़ रूपए में)**	**भागीदारों की संख्या**	**उपलब्धि मिलियन यूएस डालर में**
2014-15 से 2019-20	100	331.00	913.00	2,483	2,097.98
2020-21	12	3.00	16.00	375	222.65
2021-22	14	3.12	28.06	317	266.88
2022-23 (28.02.2023 तक)	12	86.19	266.58	311	138.69 (दिसम्बर, 2022)
कुल	**138**	**423.31**	**1,223.64**	**3,486**	**2,726.20**

(ग) शहरी हाट

देश के विभिन क्षेत्रों में प्रमुख स्थानों पर रोटेशन द्वारा शहरी हाट स्थापित करने की योजना 1997-98 में शुरू की गई थी ताकि भाग लेने वाले बुनकरों/शिल्प व्यक्तियों को सीधे ग्राहकों को हथकरघा/हस्तशिल्प उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाया जा सके, और विभिन्न प्रकार के प्रामाणिक भारतीय बुनाई और शिल्प को प्रोत्साहित और सुविधा प्रदान की जा सके। शहरी हाटों की स्थापना के लिए 8.00 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है (भारत सरकार डीसीएचएल/डीसीएचसी-80:आईए 20)। अब तक, देश भर में 38 शहरी हाट स्वीकृत किए गए हैं। 38 शहरी हाटों में से 34 कार्यकर रहे हैं और 05 में कार्य प्रगति पर हैं।

(घ) मार्केटिंग प्रोत्साहन (एमआई)

• हथकरघा उत्पादों के मार्केटिंग के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार करने के लिए हथकरघा एजेंसियों को दिया जाता है।
• हथकरघा एजेंसी को इस राशि का उपयोग उन गतिविधियों के लिए करना है जो उपभोक्ताओं को हथकरघा वस्तुओं की समग्र बिक्री को बढ़ाने के लिए आकर्षित करेगी।
• यह अवधारणा हथकरघा एजेंसियों को उत्पादों की बढ़ती लागत प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए अपनी कीमतों को समायोजित करने, डिजाइन में सुधार करने और बुनियादी ढांचे में निवेश करने में सक्षम होने की कल्पना करती है ताकि उत्पादन और उत्पादकता में सुधार हो सके।
• इन प्रोत्साहनों की गणना पिछले 3 वर्षों के हथकरघा उत्पादों की औसत बिक्री पर 10% की दर से की जाती है जिसे राज्य सरकार के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा सिवाय केंद्र सरकार, राष्ट्रीय स्तर के हथकरघा संगठनों/समितियों के मामले को छोड़कर, जहां पूरी सहायता भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

वर्ष	मार्केटिंग प्रोत्साहन	
	जारी मार्केटिंग प्रोत्साहन (करोड़ रु. में)	कवर की गई एचएल सोसायटियों की संख्या
2014-15 से 2019-20	192.58	5,276
2020-21	57.17	1,191
2021-22	12.95	306
2022-23 (28.02.2023 तक)	-	-
कुल	**262.70**	**6,773**

(ङ) 'हैंडलूम मार्क योजना'- हथकरघा उत्पादों को एक सामूहिक पहचान प्रदान करने के लिए वर्ष 2006 में 'हथकरघा मार्क' योजना शुरू की गई थी और इसका उपयोग न केवल हाथ से बुने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए किया जा सकता है, बल्कि खरीदार के लिए गारंटी के रूप में भी काम कर सकता है कि खरीदा गया उत्पाद वास्तव में हाथ से बुना हुआ है। यह उत्पाद या निर्माता की पहचान करने के लिए विशिष्ट नाम भी प्रदान करता है। अब तक 23,652 पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं।

(च) "इंडिया हैंडलूम ब्रांड"- 7 अगस्त 2015 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने के दौरान, 'इंडिया हैंडलूम ब्रांड' को उच्च गुणवत्ता वाले हथकरघा उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था ताकि उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणिक पारंपरिक डिजाइन शून्य दोष और पर्यावरण पर शून्य प्रभाव वाले हो। "इंडिया हैंडलूम" ब्रांड के लॉन्च के बाद से, 184 उत्पाद श्रेणियों के तहत 1,1,763 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

(छ) माल के भौगोलिक संकेतक (जीआई) का कार्यान्वयन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999

माल का भौगोलिक संकेतक उत्पत्ति का एक संकेतक या उपाधि है। इसका उपयोग एक निश्चित क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले कृषि, प्राकृतिक या निर्मित वस्तुओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। भारत सरकार जीआई अधिनियम 1999 के तहत हथकरघा उत्पादों को पंजीकृत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह अधिनियम वस्तु आदि के जीआई को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है और दूसरों द्वारा इनके अनधिकृत उपयोग को रोकता है। भौगोलिक स्थिति के लिए विशिष्ट जलवायु या उत्पादन विशेषताओं के आधार पर उत्पन्न होने वाले सामानों में एक विशेष गुणवत्ता अथवा विशेषताएं अथवा प्रसिद्धि होनी चाहिए।

वित्तीय सहायता:

- डिजाइन/उत्पादों के पंजीकरण में खर्च को पूरा करने के लिए 1.50 लाख रुपये।
- आईए के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने और जीआई पंजीकरण के प्रभावी प्रवर्तन के लिए 1.50 लाख रुपये।
- प्रस्ताव की योग्यता के आधार पर संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

भारत में जीआई अधिनियम के तहत अब तक कुल 74 हथकरघा उत्पाद और 06 उत्पाद लोगो पंजीकृत हैं।

(ज) राष्ट्रीय हथकरघा दिवस

हथकरघा उद्योग के बारे में जागरूकता पैदा करने और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में इसके योगदान और बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में अधिसूचना संख्या 2(14)/2015/डीसीएक्ज/पी&ई दिनांक 29 जुलाई 2015 के द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। वर्ष 2015 से शुरू होकर हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अब तक चेन्नई, वाराणसी, गुवाहाटी, जयपुर, भुवनेश्वर और नई दिल्ली (3) (वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 2020 में एक) में 08 राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आयोजित किए जा चुके हैं।

(झ) हथकरघा पुरस्कार: - वस्त्र मंत्रालय हथकरघा क्षेत्र के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए हथकरघा बुनकरों को संत कबीर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करता रहा है:

क्र. सं.	**पुरस्कार**	**श्रेणी**	**पुरस्कारों की कुल संख्या**			**कुल योग**
			सामान्य	**विशेष रूप से महिलाओं के लिए**	**कुल**	
1	संत कबीर पुरस्कार (एसकेए)	बुनाई	10	02	12	12
2	राष्ट्रीय पुरस्कार (एनए)	बुनाई	20	04	24	32
		हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन विकास	03	-	03	
		हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग	05	-	05	
3	राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाणपत्र (एनएमसी)	बुनकर	20	04	24	40
		हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन विकास	06	-	06	
		हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग	10	-	10	
	कुल		**74**	**10**	**84**	**84**

पिछले वर्षों में प्रदान किए गए पुरस्कारों का विवरण इस प्रकार है:

i. वर्ष 2012, 2013 और 2014 के लिए, चेन्नई में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 7 अगस्त 2015 को प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर पुरस्कार प्रदान किए गए।

ii. वर्ष 2015 के लिए, वाराणसी में माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा 7 अगस्त 2016 को दूसरे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उत्सव के अवसर पर पुरस्कार प्रदान किए गए।

iii. वर्ष 2016 के लिए 7 अगस्त 2018 को जयपुर में चौथे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर पुरस्कार प्रदान किए गए।

iv. वर्ष **2017**, **2018** और **2019** के लिए, **7** अगस्त **2022** को **8**वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के अवसर पर दिल्ली में पुरस्कार प्रदान किए गए।

(iii) बुनियादी ढांचा और विशेष परियोजनाएं

निम्नलिखित क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू की जाएंगी:

क. आईआईएचटी से संबंधित परियोजनाएं उन्हें हथकरघा और हस्तशिल्प केंद्रों के रूप में फिर से उन्मुख करने के लिए
ख. डिजाइन उन्मुख परियोजनाएं
ग. मार्केटिंग परियोजनाएं
घ. बुनकरों, पीसी, एसएचजी, हितधारकों की क्षमता निर्माण
ङ. प्रौद्योगिकी उन्नयन
च. सामान्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं
छ. आईआईएचटी- संबंधी परियोजनाएं

शुरू की गई परियोजनाओं की स्थिति:

क्र.सं.	**परियोजना**	**कार्यान्वयन एजेंसी**	**स्थिति (28 फरवरी 2023 तक)**
1.	हथकरघा शिल्प ग्राम मोइरांग, मणिपुर परियोजना लागत - 402.00 लाख रु. भारत सरकार का हिस्सा - 100%, अवधि - 2 वर्ष	डीएच एंड टी, मणिपुर सरकार	स्वीकृति आदेश दिनांक 12.04.2022 के तहत पहली किस्त के रूप में 194.25 लाख रुपये जारी किए गए।
2.	हथकरघा शिल्प ग्राम प्राणपुर, अशोक नगर, मध्य प्रदेश की स्थापना परियोजना लागत - 745.40 लाख रु. भारत सरकार का हिस्सा - 402.215 लाख रुपये, अवधि - 2 वर्ष	मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, भोपाल	स्वीकृति आदेश दिनांक 12.04.2022 द्वारा पहली किस्त के रूप में 195.10 लाख रुपये जारी किए गए।
3.	एनआईएफटी के सहयोग से आईआईएचटी का पुनर्गठन एवं ब्रांडिंग। परियोजना लागत - रु. 231.57 लाख भारत सरकार का हिस्सा - 100%, अवधि - 15 महीने	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी), नई दिल्ली	स्वीकृति आदेश दिनांक 15.03.2022 द्वारा पहली किस्त के रूप में 115.785 लाख जारी किए गए।

(iv) मेगा हथकरघा क्लस्टर

देश के विभिन्न भागों में मेगा हथकरघा क्लस्टरों को उनके समग्र विकास के लिए शुरू किया जाएगा, जिसमें व्यापक विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी। प्रत्येक मेगा हथकरघा समूह कम से कम 10,000 हथकरघों को कवर करेगा, जिसमें प्रति मेगा क्लस्टर 30.00 करोड़ रुपये तक का भारत सरकार का योगदान होगा। प्रकृति और प्रत्येक मेगा क्लस्टर के लिए सहायता का स्तर आवश्यकता आधारित होगा।

कार्यान्वयन एजेंसी

i. राष्ट्रीय/राज्य स्तर के हथकरघा संगठन
ii. संबंधित राज्य के हथकरघा निदेशक
iii. संबंधित राज्य के रेशम उत्पादन आयुक्त/निदेशक
iv. केंद्र सरकार के संगठन (डब्ल्यूएससी/आईआईएचटी)
v. राज्य हथकरघा विकास निगम
vi. राज्य हथकरघा शीर्ष सहकारी समितियां
vii. हथकरघा के लिए काम करने वाली कोई अन्य उपयुक्त कानूनी इकाई जो राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित और डीसी (एचएल) द्वारा अनुमोदित है।

यदि इस परियोजना को डब्ल्यूएससी/आईआईएचटी द्वारा कार्यान्वित किया जाना है, तो भूमि लागत सहित परियोजना का संपूर्ण वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

परियोजना की अवधि : 5 वर्ष

फंडिंग पैटर्न

सामान्य राज्य - भारत सरकार: राज्य सरकार / आईए - 80:20
पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, - भारत सरकार: राज्य सरकार - 90:10
जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश,

भूमि लागत राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा वहन की जाएगी और यह परियोजना लागत का हिस्सा नहीं होगी। अब तक, आठ मेगा हथकरघा समूह शुरू किए गए हैं।

मेगा हथकरघा क्लस्टरों के कार्यान्वयन की स्थिति 2008-09 से 2022-23 (28 फरवरी, 2023 तक)

मेगा क्लस्टर का नाम	कुल परियोजना लागत स्वीकृत	(करोड़ रु. में)		परियोजना की स्थिति		
		भारत सरकार हिस्सा	जारी की गई धनराशि	कार्यात्मक (गतिविधियां)	स्थापित किए जा रहे है (गतिविधियां)	मेगा क्लस्टर के अंतर्गत सीडीपी
वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	60.07	52.59	50.00	**2** (गारमेंटिंग इकाइयाँ, प्रोसेसिंग इकाइयाँ)	**-**	10
सिवासागर (असम)	31.01	26.72	24.00	**6** (स्पिनिंग यूनिट, 4 सीएफ़सी, रिटेल आउटलेट)	-	5
विरुधुनगर (तमिलनाडु)	56.60	48.01	44.33	**8** (2 डिजाइन स्टूडियो, स्मारिका शॉप, 5 डाई हाउस)	2 (2 मार्केटिंग कॉम्पलेक्स)	16
मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल)	36.86	30.97	23.86	**4** (स्वचालित सिल्क रीलिंग यूनिट, स्पून सिल्कयूनिट,प्रिंटिंग यूनिट, सीएफ़सी)	-	20
प्रकासम और गुंटूर जिले (आं.प्र.)	36.38	35.55	33.19	-	-	31
गोड्डा और पड़ोसी जिले (झारखंड)	42.62	38.20	24.01	-	5 (डिजाइन स्टूडियो, वैल्यू एडिशन सेंटर, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, 2 प्रिंटिंग यूनिट) निर्माण कार्य पूर्ण	30
भागलपुर (बिहार)	6.34	6.03	5.13	2 (डाई हाउस, डिजाइन स्टूडियो)	-	10

मेगा क्लस्टर का नाम	कुल परियोजना लागत स्वीकृत	(करोड़ रु. में)		परियोजना की स्थिति		
		भारत सरकार हिस्सा	जारी की गई धनराशि	कार्यात्मक (गतिविधियां)	स्थापित किए जा रहे है (गतिविधियां)	मेगा क्लस्टर के अंतर्गत सीडीपी
त्रिची (तमिलनाडु)	23.18	21.38	19.69	**2** (स्मारिका शॉप, डाई हाउस)	1 (डाई हाउस) जयनकोंडम	22
इम्फाल पूर्वी जिला (मणिपुर)	21.82	19.92	9.96		चालू वर्ष में निधि जारी। कार्यान्वयनाधीन	
कुल	**314.88**	**279.37**	**234.17**	**24**	**8**	**144**

(v) रियायती ऋण/ बुनकर मुद्रा ऋण:

ऋण लेने के लिए पात्र लाभार्थी

i. व्यक्तिगत हथकरघा बुनकर/बुनकर उद्यमी
ii. स्वयं सहायता समूह
iii. संयुक्त देयता समूह
iv. प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों, शीर्ष हथकरघा बुनकरों की सहकारी समितियों, राज्य हथकरघा निगमों सहित हथकरघा संगठन और
v. विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी)/ मेगा क्लस्टर में हथकरघा बुनकर समूह द्वारा भागीदारी/हथकरघा पार्क इत्यादि
vi. हथकरघा उत्पादक कंपनियां

घटक

मार्जिन मनी सहायता

(i) व्यक्तिगत हथकरघा बुनकर/बुनकर उद्यमी - ऋण राशि के 20% की दर से मार्जिन मनी सहायता, अधिकतम 25,000/- रुपये के अधीन।

(ii) हथकरघा संगठन - ऋण राशि के 20% की दर से मार्जिन मनी सहायता, अधिकतम 20.00 लाख रुपये (प्रत्येक 100 बुनकर/कामगार के लिए 2.00 लाख रुपये की मार्जिन राशि) के अधीन।

अतिरिक्त मार्जिन मनी की आवश्यकता, यदि कोई हो, बैंकिंग मानदंडों के अनुसार लाभार्थी एजेंसी द्वारा वहन की जाएगी।

(iii) प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों/शीर्ष हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों/राज्य हथकरघा निगमों को राज्य हथकरघा निदेशक की अनुसंशा पर मार्जिन मनी सहायता प्रदान की जाएगी।

ब्याज सहायता (सबवेंशन)

सभी पात्र लाभार्थियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए 6% की रियायती ब्याज दर पर रियायती ऋण उपलब्ध होंगे। हालाँकि, यह भारत सरकार द्वारा केवल 7% तक ब्याज सहायता सीमा के अधीन है। लागू ब्याज सहायता वितरण की पहली तारीख से अधिकतम 3 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा।

क्रेडिट गारंटी

लाभार्थियों को दिए गए ऋण की गारंटी संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान के निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) एवं मध्यम और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) द्वारा दी जाएगी। गारंटी कवर 3 साल के लिए ऋण के वितरण की तारीख से प्रभावी होगा।

रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण और जारी की गई निधियों की स्थिति:

वर्ष	**लाभार्थियों की संख्या**	**नाबार्ड/पीएनबी को जारी भारत सरकार का अंश (करोड़ रूपए में)**
रियायती क्रेडिट/बुनकर मुद्रा		
2014-15 से 2019-20	2,56,528	63.02
2020-21	8,456	10.00
2021-22	9,526	15.00
2022-23 (28.02.2023 तक)	4,026	-
कुल	**2,78,536**	**88.02**

पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से ऑनलाइन दावे और मार्जिन मनी, ब्याज सब्सिडी तथा क्रेडिट गारंटी शुल्क के वितरण के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली 'हथकरघा बुनकर मुद्रा पोर्टल' के नाम से विकसित की गई है, जिसमें बुनकरों के ऋण खाते में सीधे मार्जिन राशि जमा करने और संबंधित बैंक शाखा में ब्याज सबवेंशन (सहायता) की सुविधा है। यह पोर्टल बुनकर मुद्रा योजना के अंतर्गत सभी सहभागी बैंकों के लिए दिनांक 01.04.2017 से चालू हो गया है। प्रतिभागी बैंक उक्त पोर्टल के माध्यम से संबंधित लाभार्थी बुनकरों को देय मार्जिन मनी, ब्याज सबवेंशन (छूट) और क्रेडिट गारंटी शुल्क के रूप में वित्तीय सहायता का दावा करते हैं।

(vi) हथकरघा बुनकर कल्याण

संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस) का नाम बदलकर हथकरघा बुनकर कल्याण, एनएचडीपी का एक घटक, कर दिया गया है जो देश भर में हथकरघा बुनकरों/ कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू किया गया है। योजना का विवरण इस प्रकार है:-

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई):

पीएमजेजेबीवाई एक बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु के लिए जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। यह एक साल का कवर होगा, जिसे साल दर साल आधार पर रिन्यू किया जा सकता है। सभी हथकरघा बुनकर/कामगार 18-50 वर्ष के आयु वर्ग के पात्र हैं। 330/- रुपये के वार्षिक प्रीमियम का हिस्सा निम्नानुसार है**:**

भारत सरकार का हिस्सा	198/-रू.
राज्य सरकार/लाभार्थी का हिस्सा	238/-रू.
कुल प्रीमियम	436/-रू.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई):

पीएमएसबीवाई एक बीमा योजना है जो मृत्यु या विकलांगता के लिए दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करती है। यह एक साल का कवर होगा**,** जिसे साल दर साल आधार पर नवीनीकरण किया जा सकता है। सभी हथकरघा बुनकर/कामगार 18-70 वर्ष के आयु वर्ग के पात्र हैं। भारत सरकार द्वारा संपूर्ण वार्षिक प्रीमियम 12/- रूपए वहन किया जाएगा।

परिवर्तित महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई):

परिवर्तित एमजीबीबीवाई एक बीमा योजना है जो 51-59 वर्ष के आयु वर्ग के हथकरघा बुनकरों / कामगारों के एक बंद समूह के लिए मृत्यु या विकलांगता पर जीवन और आकस्मिक बीमा कवरेज प्रदान करती है, जो पहले से ही 31.05.2017 को एमजीबीबीवाई के तहत नामांकित थे। 470/- रुपये के वार्षिक प्रीमियम का हिस्सा इस प्रकार है:

भारत सरकार का हिस्सा	290/- रू.
राज्य सरकार/लाभार्थी का हिस्सा	180/- रू.
कुल प्रीमियम	470/- रू.

लाभ का विवरणः

बीमा राशि	**योजनाएं**		
	पीएमजेजेबीवाई	**पीएमएसबीवाई**	**परि. एमजीबीबीवाई**
प्राकृतिक मृत्यु	2,00,000 रू.	-	60,000 रू.
दुर्घटना में मृत्यु	2,00,000 रू.	2,00,000 रू.	1,50,000 रू.
पूर्ण दिव्यांग्ता	-	2,00,000 रू.	1,50,000 रू.
आंशिक दिव्यांग्ता	-	1,00,000 रू.	75,000 रू.

नामांकन आंकड़े:

पॉलिसी वर्ष (1 जून से 30 मई)	हथकरघा कामगारों का नामांकन	
	पीएमजेजेबीवाई/ पीएमएसबीवाई	परि. एमजीबीबीवाई
2017-18 से 2019-20	3,47,349	1,33,049
*2020-21	-	-
2021-22	1,11,957	-
2022-23 (28.02.2023 तक)	32,478	

* डीएफएस, वित्त मंत्रालय के का.ज्ञा. सं.12011/11/2015-आईएनएस.II/I दिनांक 13.05.2020 के आधार पर, दिनांक 01.01.2020 से प्रीमियम के पूर्ण भुगतान की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। इसलिए, 2020-21 के दौरान कोई नामांकन नहीं हुआ।

पुरस्कृत बुनकरों/कामगारों को विकट परिस्थितियों में वित्तीय सहायता:

60 वर्ष से अधिक आयु के प्रति पुरस्कार विजेता (पद्म श्री/संत कबीर/राष्ट्रीय/राज्य) हथकरघा बुनकरों/कामगारों, जिनकी वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये से कम है को विकट परिस्थितियों में 8,000/- रुपये प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता राज्य सरकार के संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने पर देय होगा। यह वस्त्र मंत्रालय की एक नई पहल है जिसे एनएचडीपी के दिशा-निर्देशों में अक्टूबर, 2021 से शामिल किया गया है। अब तक, देश भर में पुरस्कृत हथकरघा बुनकरों/कामगारों के 80 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।

छात्रवृत्ति:

केंद्र/राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त, केंद्र/राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित वस्त्र संस्थान में 3/4 वर्षीय डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए हथकरघा बुनकरों/कामगारों के बच्चों (2 बच्चों तक) को छात्रवृत्ति के रूप में 5000/- रू. प्रति माह स्टाइपेंड सहित अधिकतम 2.00 लाख रूपए प्रति वर्ष प्रदान की जाती है। यह वस्त्र मंत्रालय की एक नई पहल है जिसे अक्टूबर, 2021 से एनएचडीपी दिशा-निर्देशों में शामिल किया गया है। अब तक देश भर में हथकरघा बुनकरों/ कामगारों के 45 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं।

हथकरघा हेल्पलाइन केंद्र:

हेल्पलाइन का उद्देश्य एकल बिंदु संपर्क के माध्यम से हथकरघा बुनकरों के तकनीकी मुद्दों/योजनागत स्पष्टीकरण प्राप्त करना है। "हथकरघा हेल्पलाइन केंद्र" स्थापित किया गया है जहां विशेषज्ञों द्वारा बुनकरों के पेशेवर प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। हेल्पलाइन नं. 0120-6916700 (पीआरआई नंबर) और 18002089988 (टोल फ्री नंबर) सुबह 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक काम करते हैं और 7 भाषाओं में जानकारी हिंदी, अंग्रेजी और 5 क्षेत्रीय भाषाओं (तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बंगाली और असमिया) प्रदान करते

हैं। दिनांक 28.02.2023 तक, हेल्पलाइन पर 38,542 कॉल/शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सभी कॉल/शिकायतों का समाधान कर दिया गया है।

2. कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस)

आरएमएसएस के घटक:

परिवहन सब्सिडी घटक: यार्न (सभी प्रकार) के परिवहन पर भाड़ा प्रतिपूर्ति ।
मूल्य सब्सिडी घटक: मात्रात्मक प्रतिबंधों के साथ यार्न पर 15% मूल्य सब्सिडी (डीबीटी के माध्यम से जुड़े हुए बैंक खातों में)
मात्रात्मक प्रतिबंधों के साथ कॉटन हैंक यार्न, घरेलू सिल्क, ऊनी एवं लिनन धागों एवं प्राकृतिक रेशों के मिश्रित धागों पर 15% मूल्य सब्सिडी उपलब्ध होगी।

पात्र लाभार्थी:

यह लाभ निम्नलिखित के लिए उपलब्ध होंगे:

i. व्यक्तिगत बुनकर।
ii. एजेंसियां, जिनमें बुनकर सदस्य हैं, अर्थात स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) और सहकारी समितियां।
iii. हथकरघा निर्माता कंपनी।
iv. बुनकर उद्यमी (आन्ट्रप्रेन्योर): वह उद्यमी पात्र बुनकर उद्यमी होगा, जो मार्केटिंग और अन्य गतिविधियों के साथ-साथ वास्तव में बुनाई गतिविधि में शामिल हैं, एवं उनके परिसर में अपना निजी हथकरघा उपलब्ध है। कच्चे माल की सब्सिडी घटक उद्देश्य हेतु बुनकर उद्यमी के परिसर में उसके स्वमित्व वाले एवं कार्यात्मक हथकरघों की संख्या की गणना की जाएगी।

कार्यान्वयन एजेंसियां

I. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी)।
II. हथकरघा एवं वस्त्र आयुक्त/निदेशक के माध्यम से राज्य सरकारें।
III. राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष नियंत्रण पर्यवेक्षण के अधीन राज्य हथकरघा निगम और शीर्ष समितियां।

एनएचडीसी की माल भाड़ा प्रतिपूर्ति, डिपो प्रचालन व्यय और सेवा प्रभार की दरें निम्नानुसार हैं-

क्षेत्र	**माल भाड़ा**			**डिपो परिचालन शुल्क**	**एनएचडीसी को सेवा प्रभार**
	रेशम/जूट/कॉयर के धागे के अलावा	**सिल्क यार्न**	**जूट/ कॉयर यार्न**		
सामान्य राज्य	2.5%	1%	10%	2.0% (15,000/- रूपए प्रतिमाह के अधीन)	2%
पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्र	7.5%	2.25%	10%		2.5%

(आपूर्ति किए गए यार्न के मूल्य का %)

यह योजना भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत माल ढुलाई की प्रतिपूर्ति की जाती है और डिपो प्रचालन एजेंसियों को 2% की दर से डिपो प्रचालन प्रभार दिया जाता है। वर्तमान में, देश भर में ऐसे 511 यार्न डिपो कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, सुपुर्दगी अवधि को कम करने और कम मात्रा में आपूर्ति करने के लिए एनएचडीसी ने बुनकरों की उपस्थिति वाले प्रत्येक राज्य में कम से कम एक वेयर हाउस खोला गया है। तदनुसार, एनएचडीसी 46 यार्न वेयर हाउसों का संचालन कर रहा है।

(आपूर्ति किए गए यार्न की मात्रा लाख कि.ग्रा. में)

वर्ष	**परिवहन सब्सिडी घटक के तहत आपूर्ति किया गया यार्न (1)**	*** मूल्य सब्सिडी घटक के तहत आपूर्ति किया गया यार्न (2)**	**आरएमएसएस के तहत आपूर्ति किया गया कुल यार्न (1 + 2)**	**कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात् एनएचडीसी को जारी निधियां (करोड़ रूपए में)**
2014-15 से 2019-20	5,986.047	1,427.18	7,413.22	1,180.01
2020-21	136.535	78.56	215.09	60.32
2021-22	137.208	98.60	235.80	89.53
2022-23 (28.02.2023 तक)	163.56	115.62	279.18	119.07
कुल	**6,423.33**	**1,719.56**	**8,143.29**	**1,448.93**

* मूल्य सब्सिडी के तहत आपूर्ति किए गए सभी यार्न को परिवहन सब्सिडी भी दी जाती है

(3) हथकरघा के संरक्षण और कार्यान्वयन के लिए योजना (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम - 1985

भारत सरकार ने हथकरघा बुनकरों की अजीविका और देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के हितों को पावरलूम और मिल क्षेत्र के अतिक्रमण से बचाने के उद्देश्य से हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 की घोषणा दिनांक 29.3.1985 को किया। प्रारंभ में, 22 वस्तुएं हथकरघा पर विशेष उत्पादन के लिए आरक्षित थीं।

हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 को केंद्र और राज्य सरकार की प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा क्षेत्र में पावरलूम निरीक्षण के माध्यम से लागू किया जा रहा है। अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, पावरलूम इकाइयों के निरीक्षण के लिए सभी कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए वार्षिक कार्य योजना के तहत डीसी हथकरघा कार्यालय द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। जहां कहीं भी उल्लंघन का पता चलता है, अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपयुक्त कार्रवाई शुरू की जाती है।

वर्तमान में कुछ तकनीकी विशिष्टताओं वाली 11 वस्त्र वस्तुएं अधिनियम के तहत हथकरघा पर विशेष उत्पादन के लिए दिनांक 3.9.2008 की अधिसूचना के तहत आरक्षित हैं। ये वस्तुएं हैं:

1. साड़ी,
2. धोती,
3. तौलिया, गमछा और अंगवस्त्रम,
4. लुंगी,
5. खेस, बेडशीट, बेडकवर, काउंटरपेन, फर्निशिंग (टेपेस्ट्री, अपहोल्स्ट्री सहित),
6. जमक्कलम दरी या दुर्रेट,
7. पोशाक सामग्री,
8. बैरक कंबल, कंबल या कांबली
9. शॉल, लोई, मफलर, पाखी आदि।
10. वुलन ट्वीड,
11. चादर, मेखला/फनेक।

योजना की विशेषताएं

- हथकरघा उत्पादों की पहचान पर विशेष ध्यान
- बाजार/एक्सपो में आईएचबी, एचएम/जीआई लेबल के साथ नकली एचएल उत्पादों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए निरीक्षण अभियान।
- प्रशिक्षण आदि के माध्यम से प्रवर्तन मशीनरी का क्षमता निर्माण,
- प्रशिक्षण, जागरूकता, वास्तविक एचएल / जीआई उत्पादों को अलग करने के लिए सामग्री के प्रकाशन के लिए सहायता,
- योजना के दिशा-निर्देशों में दिए गए मानदंडों के अनुसार प्रवर्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण।

हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के कार्यान्वयन के लिए प्रवर्तन तंत्र की स्थापना के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता जारी की जाती है। 5000 अथवा अधिक पावरलूम वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय सहायता के लिए पात्र हैं। प्रत्येक सहायक कार्यालय को पावरलूम सघनता वाले प्रत्येक पॉकेट में अतिरिक्त 20,000 पावरलूम के साथ स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में, 09 राज्य इस योजना के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

पावरलूम निरीक्षण के वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां और प्रवर्तन मशीनरी के लिए प्रदान की गई					
वर्ष	**लक्ष्य**	**उपलब्धियां (पावरलूम निरीक्षणों की संख्या)**	**एफआईआर दर्ज**	**प्रतिबद्धता**	**प्रवर्तन मशीनरी के लिए जारी की गई धनराशि**
2014-15 से 2019-20	20,85,642	21,51,581	530	428	1,381.39
2020-21	1,58,160	1,81,530	11	34	391.18
2021-22	1,58,160	1,81,881	67	40	463.88
2022-23 (28.02.2023 तक)	1,65,192	1,52,035	48	53	445.47
कुल	**25,67,154**	**26,67,027**	**656**	**555**	**2,681.92**

(4). हथकरघा क्षेत्र में चल रही अन्य हालिया पहलें

i. हथकरघा बुनकरों को विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों को सीधे अपने उत्पाद बेचने में सक्षम बनाने के लिए सरकारी ई-मार्केट प्लेस पर ऑन-बोर्ड किया गया है। अब तक लगभग 1.50 लाख बुनकरों को जेम पोर्टल से जोड़ दिया गया है।

ii. उत्पादकता, मार्केटिंग क्षमताओं को बढ़ाने और बेहतर आय सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्यों में 149 हथकरघा उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया है।

iii. बुनकरों को अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने की सुविधा दी गई है और 23 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को वस्त्र मंत्रालय से जोड़ा गया है।

iv. हथकरघा उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग मेलों/कार्यक्रमों में भाग लेती/आयोजित करती रही है। इसके अलावा, बुनकरों को अपने उत्पादों के मार्केटिंग और बिक्री के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में घरेलू मार्केटिंग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

v. राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से उनके राज्य हथकरघा निगमों / सहकारी समितियों / एजेंसियों के लिए हथकरघा बुनकरों के पास तैयार माल की खरीद करने का अनुरोध किया गया था।

vi. हथकरघा क्षेत्र में डिजाइन उन्मुख उत्कृष्टता के निर्माण और सृजन के लिए दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, अहमदाबाद, जयपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कांचीपुरम, कोलकाता, इंदौर, नागपुर, पानीपत, मेरठ, हैदराबाद, बैंगलुरू और चेन्नई के बुनकर सेवा केंद्रों में 16 डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित किए गए हैं ताकि बुनकरों, निर्यातकों, निर्माताओं और डिजाइनरों को नमूना/उत्पाद सुधार और विकास के लिए डिज़ाइन रिपॉजिटरी तक पहुंचने की सुविधा प्रदान की जा सके।

vii. हथकरघा बुनकरों का समर्थन करने के लिए, वर्ष 2020 में #Vocal4Handmade, 2021 और 2022 में #MyHandloomMyPride के तहत MyGov मंच और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर विभिन्न गतिविधियों के अलावा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए गए। हथकरघा क्षेत्र को लोकप्रिय बनाने और उस समर्थन देने के लिए 7 अगस्त, 2022 को 8वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर, अन्य लोगों के अलावा, केंद्रीय मंत्रियों और राज्य के मुख्यमंत्रियों से इन सोशल मीडिया अभियानों में भाग लेने और समर्थन करने का अनुरोध किया गया था। हथकरघा को लोकप्रिय बनाने, भारतीय जनता की रुचि बढ़ाने और बुनकरों के लिए बिक्री के अवसर पैदा करने के लिए मार्केटिंग कार्यक्रम, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आदि आयोजित की गईं।

viii. पर्यटन के साथ शिल्प को बढ़ावा देने के लिए, शरण (हिमाचल प्रदेश), कनिहामा (जम्मू और कश्मीर), मोहपारा (असम), कोवलम (केरल), रामपुर, बोधगया (बिहार), प्राणपुर (मध्य प्रदेश), मोइरंग (मणिपुर) और कुनबी (गोवा) में 9 शिल्प हथकरघा ग्रामों की स्थापना की गई है।

आईआईएचटी के लिए ऐसे पाठ्यक्रम जो कुछ समय से अस्तित्व में है और पुराने लगने लगे हैं,इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उनके पुनर्गठन और रीब्रांडिंग हेतु निफ्ट के सहयोग से 06 भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईएचटी) में एनएचडीपी के तहत विशेष बुनियादी ढांचा और आईआईएचटी संबंधित परियोजना के अंतर्गत एक परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत, संस्थानों की रीब्रांडिंग सहित वर्तमान शैक्षणिक संरचना का नैदानिक/महत्वपूर्ण विश्लेषण और उसकी आवश्यकता के आधार पर पुनर्गठन किया जाएगा। विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग सुविधा के रूप में आईआईएचटी में इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किया जाएगा। हथकरघा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्टेकहोल्डर मैपिंग और साझेदारी व्यवस्था का सुझाव दिया जाएगा।